हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1-4-2016 से 31-3-2017
भाग –एक

1 (क) प्रस्तावना

निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम 2004 की धारा 28(3) के अंतर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच. एस.जी. -4(डी) 1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया हैं। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन के लेखाओं अवधि 1.04.2016 से 31.03.2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री रमेश चन्द भाटिया अधिशाषी अभियन्ता इस मण्डल के आहरण /संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहे ।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	पैरा सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	राशि (लाखों में)
1	4(क)	परवाणू मण्डल के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों के रख–रखाव प्रभार के रूप में बकाया राशि वसूली हेतु शेष	366.56
2	5(क)	परवाणू मण्डल के अधीन विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के जल प्रभार के रूप में बकाया राशि वसूली योग्य शेष ।	45.13
3	6	निर्माण कार्यों में गलत गणना के कारण अधिक भुगतान	0.21
4	7 (i)	निर्माण कार्य की मद Excavation in foundation,trenches etc की मात्रा से मद संख्या 13.01 i.e P/L 150mm Dia Cement Concrete NP2 Pipe for Sewerage Line की मात्रा अधिक दर्शाने के कारण अधिक भुगतान	0.12
5	7 (ii)	निर्माण कार्य कार्य में गलत गणना किए जाने के कारण अधिक भुगतान	0.54
6	8 (ii)	निर्माण कार्य कार्य की मद संख्या 4 i.e P/L Spreading & Compacting Stone Aggregate की मात्रा मद Stone	0.21

		Soiling Properly Hand Packed की मात्रा से अधिक दर्शाई जाने के कारण अधिक भुगतान	
7	9	निर्माण कार्यों के बिलों से रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को अधिक/अनुचित भुगतान	1.33
8	10	MS Flat 25X3mm हेतु गलत Conversion Factor लिए जाने के कारण मद का अधिक भुगतान।	0.08
9	11	Extra Item E1 i.e P/L CC of M-20 in Foundations Footing etc. तथा Extra Item E2 i.e P/L CC of M-20 in Columns, Pillers Posts etc. के रेट का निर्धारण गलत ढंग से किए जाने के कारण अधिक भुगतान	0.05
10	12	अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशों की अवहेलना करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना	8.29
11	13	निर्माण कार्य में Steel Work Welded in Built up Sections, Trusses in Beams, Joints Channel Angles, Tees, Flats with connecting plates or angles Cleats in main and cross beams. की मात्रा से Holding fold की मात्रा कम न करने के कारण अनुचित भुगतान	0.14
12	14	नियमों के विपरीत संविदाकार को Work Done and measured के लिए अनुचित अग्रिम प्रदान करना	24.28
13	24	तकनीकी कर्मचारियों के गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अनुचित/अधिक भुगतान	1.53

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई हैं। वर्ष 04/84 से 03/2016 तक मण्डल से संबन्धित **27** पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	शेष पैरो की सं.
1	1984-85	1
2	1991-92	3
3	1995-96	1
4	2008-09	1

5	2012-13	1
6	2013-14	6
7	2014-15	5
8	2015-16	9
	Total	**27**

अत: अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू, जिला सोलन, हि . प्र. उपरोक्त शेष अनिर्णीत अंकेक्षण पैरो में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरांत इन पैरो का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–2

2. वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले. प.), श्री मंजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी (ले. प.) द्वारा दिनांक **05.01.2018** से **07.03.2018** तक श्री ज्ञान चंद शर्मा , उप निदेशक , स्थानीय लेखा प्ररीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) , शिमला -09 के पर्यविक्षण में परवाणू में किया गया । मास **01/2017** के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में समाविष्ट किया गया हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू, जिला सोलन, हि. प्र. द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया हैं, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा प्ररीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला -09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन के लेखाओं अवधि **1.04.2016 से 31.03.2017** का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया गया जाएगा ।

4 (क)परवाणु मण्डल के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार के रूप में ₹366.56 लाख की बकाया राशि वसूली योग्य शेष:-

हिमुडा मण्डल परवाणु के रख-रखाव से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.03.2017 तक रख-रखाव प्रभार के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹**3,66,55,984** की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रख-रखाव प्रभार की वसूली योग्य राशि निरंतर बढ़ रही हैं जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। अत: यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष विशेष ध्यानार्थ लाया जाता हैं तथा यह सुझाव दिया जाता हैं कि विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव के रूप में वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

आवास बस्ती का नाम	दिनांक 31.03.2017 को वसूली योग्य राशि
Housing Colony ,Commercial Baddi	3857065.00
Housing Colony Nalagarh	831142.00
Housing Colony Mandhala	2994522.00
Housing Colony KaluJanda	14163737.00
Housing Colony Parwanoo	2646088.00
Housing Colony Paonta Sahib	10520781.00
Housing Colony Subhkhera	865995.00
Housing Colony Mogi Nand	776654.00
Total	**₹36655984.00**

(ख) रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹4391 की कम वसूली करना

उप–मण्डल नाहन के रख–रखाव प्रभार की खाता बही की जाँच करने पर पाया गया कि शुभखेड़ा कॉलोनी में श्री वीरेन्द्र सिंह को प्लॉट संख्या 116 आबंटित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 301 वर्ग मी0 है। उक्त आबंटी से अन्य आबंटियों की भाँति नियमानुसार रख–रखाव प्रभार (सेवा कर व सरचार्ज सहित) अवधि 5/2016 से 3/2017 तक कुल ₹8487 वसूल की जानी अपेक्षित थी। परन्तु आबंटी से केवल ₹4096 की वसूल की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस प्रकार ₹4391 कम वसूल की गई जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः रख–रखाव प्रभार की कम वसूली बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व इसे नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उक्त आबंटी से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

प्लॉट का क्षेत्रफल	रख–रखाव प्रभार की राशि (₹)	राशि जो वसूल की जानी थी	राशि जो वसूल की गई	कम वसूली
301 वर्ग मी0	₹25 प्रति वर्ग मी0 वार्षिक			
रख–रखाव प्रभार अवधि 5/2016 से 3/2017 तक 11 माह के लिये {(301 x 25/12) x 11}		6897	3329	3568
सेवाकर (15%)		1035	499	536
देय तिथि उपरान्त जमा राशि पर सरचार्ज (7%)		555	268	287
	योग	**8487**	**4096**	**4391**

5 **(क) परवाणू मण्डल के अधीन विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार के रूप में ₹45.13 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष ।**

जल प्रभार से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.03.201 7 तक जल प्रभार के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹**45,12,898** वसूली योग्य शेष थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जल प्रभार की वसूली योग्य राशि निरंतर बढ़ रही हैं जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं, अत: यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के समक्ष विशेष ध्यानार्थ लाया जाता हैं, साथ ही यह सुझाव दिया जाता हैं कि विभिन्न आवास बस्तियों से जल प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Amount
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	1714852.00
2	Water Supply Scheme Paonta Sahib Sub-Division	9960.00
3	Water Supply Scheme Shubkhera	57252.00
4	Water Supply Scheme Baddi	2502944.00
5	Water Supply Scheme Nalagarh	89382.00
6	Water Supply Scheme Kalughanda	99607.00
7	Water Supply Scheme Mandhala	38901.00
	Total	**₹4512898.00**

(ख) पानी के मीटर खराब/बन्द होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही न करना तथा उपभोकताओं को औसत खपत के आधार पर पानी के बिल जारी करना:-

अंकेक्षण में पानी से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर खराब या बंद थे, उन सभी उपभोकताओं को औसत खपत के आधार पर पानी के बिल जारी किया जा रहे थे, जबकि पानी के बिल से सम्बन्धित निर्देशों के अनुसार जो पीछे लिखी "Instructions to Consumers" की संख्या 11 में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि " If the defective meter is not replaced with in 10 days from the date of issue of notice, the water supply to your premises shall be disconnected without issuing any further notice." परन्तु इस निर्देश के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई तथा उन सभी उपभोकताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी किए जा रहे थे। ऐसे सभी उपभोकताओं का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया हैं। अत: जिन उपभोक्ताओं के खराब/बन्द थे उन्हें औसत आधार पर पानी का

बिल जारी किए जाने बारे तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए तथा अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाये।

6 गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्या 29 दिनांक 04.01.2017 ₹2656343.96

निर्माण कार्य का नाम	C/O Housing Colony at Kala Amb(Moginand)(SH: 1 No 200Kid STI)
संविदाकार का नाम	Sh.Suresh Kumar
अनुबंध सं.	12 of 2015-16
चलित बिल	2nd Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 68 से 81 of 771
Record MB	Page No. 58 से 68 of 771

उपरोक्त निर्माण कार्य के 2nd चलित बिल में अनुबंध की मद संख्या **1 i.e. Excavation in Foundation, Trenches etc.** के संदर्भ में संविदाकार को ₹325 प्रति घन मी. की दर से भुगतान किया गया था। इस भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में **GI Pipe (External)** के संदर्भ में **CPWD Specification** से अधिक चौड़ाई में खुदाई हेतु भुगतान किया गया था। **CPWD Specification Rule 20.6 Laying and Jointing of GI Pipes (External Work)** में Trench की चौड़ाई एवं गहराई निम्न प्रकार से दी गई हैं।

Dia of Pipe(mm)	**Width of trench(cm)**	**Depth of trench (cm)**
15 to 50	**30**	**60**
65 to 100	**45**	**75**

उपरोक्त नियम अनुसार 100mm Dia और 80mm Dia GI Pipe हेतु Trench की चौड़ाई 45cm, साथ ही 50mm Dia GI Pipe हेतु Trench की चौड़ाई 30 cm, होनी चाहिए थी । जबकि MB 711 P.No. 58,59 के अनुसार संविदाकार को 60 cm,50cm और 45 cm चौड़ाई की खुदाई हेतु भुगतान किया था। इस प्रकार संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹20554.00 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Detail of Calculation of Excess Payment on A/c of Item No. 1 i.e Excavation in Foundation, trenches etc.							
MB No./P.No.	**Qty Executed & Paid**		**Qty as per CPWD Specification**		**Excess Qty**	**Rate per Cum**	**Total Excess Payment**
For 100 mm Dia							
711/58	1X19.95X0.60X(0.45+0.60)/2	6.28m^3	1X19.95X0.45X(0.45+0.60)/2	4.713 m^3	1.57 m^3	325.00	510.60

	1X61X0.60X(0.45+0.60)/2	19.21 m^3	1X61X0.45X(0.45+0.60)/2	14.411 m^3	4.80 m^3	325.00	1559.59
	1X159.15X0.60X(0.45+0.60)/2	50.13 m^3	1X159.15X0.45X(0.45+0.60)/2	37.599 m^3	12.53m^3	325.00	4073.25
711/59	1X144.50X0.60X(0.40+0.60)/2	43.35 m^3	1X159.15X0.45X(0.40+0.60)/2	35.809 m^3	7.54 m^3	325.00	2450.91
For 80 mm Dia							
711/59	1X121.90X0.50X(0.45+0.60)/2	31.99 m^3	1X121.90X0.45X(0.45+0.60)/2	28.799 m^3	3.19 m^3	325.00	1037.12
For 50 mm Dia							
711/59	1X164.75X0.45X(0.40+0.60)/2	37.06 m^3	1X164.75X0.30X(0.40+0.60)/2	24.713 m^3	12.35m^3	325.00	4012.94
	1X63X0.45X(0.40+0.60)/2	14.17 m^3	1X63X0.30X(0.40+0.60)/2	9.450 m^3	4.72 m^3	325.00	1534.00
	1X48.30X0.45X(0.40+0.60)/2	10.86 m^3	1X48.30X0.30X(0.40+0.60)/2	7.245 m^3	3.62 m^3	325.00	1174.88
	1X69.30X0.45X0.50	15.593 m^3	1X69.30X0.30X0.50	10.395 m^3	5.20 m^3	325.00	1689.19
	1X67.70X0.45X0.50	15.233 m^3	1X67.70X0.30X0.50	10.155 m^3	5.08 m^3	325.00	1650.19
	1X39.25X0.45X0.45	7.95 m^3	1X39.25X0.30X0.45	5.299 m^3	2.65 m^3	325.00	861.05
Total							**20553.69**
Or Say							**20554.00**

7. वाऊचर संख्या 121 दिनांक 24.01.2017 ₹1656167.00

निर्माण कार्य का नाम	Development of H/C at TrilokPur, Distt Sirmour(SH: Providing External Water Supply System i.e Distribution of Pipe Line and External Sewerage Line.)
संविदाकार का नाम	Sh. Narender Singh Chauhan
अनुबंध सं.	08 of 2016-17
चलित बिल	1st to 9th Running Bill
MB No.	2280 and 668

उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-702-09 Dt. 04.05.2016 द्वारा आबंटित किया गया था। इस निर्माण कार्य को संविदाकार को ₹61,74,361.75 पर आबंटित किया गया था जोकि 184.02% above

the amount put to tender था। मार्च 2017 तक इस निर्माण कार्य पर ₹16235152 का भुगतान किया जा चुका था। इस निर्माण कार्य से संबन्धित 1^{st} से 9^{th} चलित बिल तक की विस्तृत जाँच की गई।

(i) अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e Excavation in foundation,trenches etc की तुलना में मद संख्या 13.01 i.e P/L 150mm Dia Cement Concrete NP2 Pipe for Sewerage Line के संदर्भ में ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e Excavation in foundation, trenches etc. और मद संख्या 13.01 **i.e P/L 150mm Dia Cement Concrete NP2 Pipe for Sewerage Line** के सन्दर्भ में लम्बाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि मद संख्या 1 i.e Excavation in foundation, trenches etc. के लिए 77.60 मीटर लम्बाई हेतु भुगतान किया गया था जबकि मद संख्या 13.01 P/L 150mm Dia Cement Concrete NP2 Pipe for Sewerage Line हेतु 93.30 मीटर जबकि नियमानुसार दोनों मदों की लम्बाई एक समान होनी चाहिए थी। परन्तु मद संख्या 13.01 हेतु 15.70 मीटर लम्बाई का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार मद संख्या 13.01 हेतु संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹12246 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

<table>
<tr><th colspan="9">C/O H/C at Trilokpur Distt. Sirmour (SH: P/Lexternal WSS i.e Distribution of Pipe Line and External Sewerage Line</th></tr>
<tr><th colspan="9">Detail of Calculation of Excess Payment on A/c of Pipe of Different Dia</th></tr>
<tr><th>MB No./P.No.</th><th>Qty of Item No. 1 i.e Excavattion in Foundation & trenches etc executed & Paid</th><th>MB No./P.No.</th><th colspan="2">Qty of Item No. 13.01 i.e P/L 150mm Dia Reinforced Concrete Light Duty Non-Pressure Pipes</th><th>Excess Qty</th><th>Unit</th><th>Rate per RMT</th><th>Total Excess Payment</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2280 P.No.3 Plot No. 32 to 27</td><td>1X19.40X0.60X0.75</td><td rowspan="4">2280 P.No.5,6 Plot No. 32 to 27</td><td>1X15.00</td><td>15.00</td><td rowspan="8">15.70</td><td>RMT</td><td rowspan="8">780</td><td rowspan="8">12246</td></tr>
<tr><td>1X17.90X0.60X0.85</td><td>1X16.50</td><td>16.50</td><td>RMT</td></tr>
<tr><td>1X26.20X0.60X1.05</td><td>1X16.20</td><td>16.20</td><td>RMT</td></tr>
<tr><td>1X14.10X0.60X1.20</td><td>1X6.70</td><td>6.70</td><td>RMT</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="4"></td><td>1X16.00</td><td>16.00</td><td>RMT</td></tr>
<tr><td>1X16.00</td><td>16.00</td><td>RMT</td></tr>
<tr><td>1X6.90</td><td>6.90</td><td>RMT</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>(19.40+17.90+26.20+14.10=77.60</td><td></td><td>93.30</td><td>RMT</td></tr>
</table>

(ii) **गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.54 लाख का अधिक भुगतान**

उपरोक्त निर्माण कार्य के विभिन्न चलित बिलों में अनुबंध की मद संख्या **1 i.e. Excavation in Foundation,Trenches etc.** के संदर्भ में संविदाकार को MB No. 2280 P.No. 61 पर ₹380/- प्रति घन मी. की दर से भुगतान किया गया था। इस भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में **GI Pipe (External)** के संदर्भ में **CPWD Specification** से अधिक चौड़ाई में

खुदाई हेतु भुगतान किया गया था। **CPWD Specification Rule 20.6 Laying and Jointing of GI Pipes (External Work)** में Trench की चौड़ाई एवं गहराई निम्न प्रकार से दी गई हैं।

Dia of Pipe(mm)	**Width of trench(cm)**	**Depth of trench (cm)**
15 to 50	**30**	**60**
65 to 100	**45**	**75**

उपरोक्त नियम अनुसार 100mm Dia, 80mm Dia, 65mm Dia, 50mm Dia, 40mm Dia, 32mm Dia और 25mm Dia की GI Pipe हेतु Trench की चौड़ाई 30cm, और 45cm होनी चाहिए थी । जबकि MB 2280 P.No. 56 से 58 तक के अनुसार संविदाकार को 60cm,50cm और 45cm क्रमशः चौड़ाई की खुदाई हेतु भुगतान किया था। इस प्रकार संविदाकार को **परिशिष्ट "ग"** में दिए गए विवरणानुसार ₹54433 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

8. वाऊचर संख्या 37 दिनांक 06.01.2017 ₹1706980.66

निर्माण कार्य का नाम	A/R & M/O Road of Industrial Area Khadeem
संविदाकार का नाम	Sh. Prem Singh
अनुबंध सं.	53 of 2016-17
चलित बिल	1st Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 17-33 of 2302

(i) Item No. 9 i.e C/o Unlined Surface Drains of Avg.Cross-Sectional Area 0.40 Sqmtr in Soil के संदर्भ में संविदाकार को किए गए ₹0.46 लाख के भुगतान के संदर्भ में।

उपरोक्त निर्माण कार्य के संदर्भ में item No. 9 i.e C/o Unlined Surface Drains of Avg.Cross-Sectional Area 0.40 Sqmtr in Soil के संदर्भ में MB No. 2302 पृ.सं. 19 पर 652RMT हेतु ₹70 प्रति RMT की दर से निम्नविवरणानुसार ₹45640 का भुगतान किया गया था।

RD 0 to 240	1X240	240RMT
RD 260 TO 395	1X135	135RMT
RD 0 TO 40	1X40	40RMT
RD 60 TO 257	1X197	197RMT
RD	1X40	40RMT
TOTAL		**652RMT**

निर्माण के मान्य नियमों के अनुसार RD 15mtr या 30mtr की ली जानी चाहिए। परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में RD की मात्रा 240 मी0,135 मी0,40 मी0,197 मी0 और 40 मी0ली गई थी। इस प्रकार निर्माण कार्य के संदर्भ में मान्य नियमों की अनदेखी की गई जिससे संविदाकार को किए गए भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता हैं। अत : इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए साथ ही अनुबन्ध की मद संख्या 9 के लिए संविदाकार को किए गए ₹45640 के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

(ii) अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e Stone Soiling Properly Hand Packed की तुलना में मद संख्या 4 i.e P/L Spreading & Compacting Stone Aggregate के संदर्भ में संविदाकार को ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e Stone Soiling Properly Hand Packed और मद संख्या 4 i.e P/L Spreading & Compacting Stone Aggregate की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि RD 180 to 195 के लिए मद संख्या 3 निष्पादित ही नहीं की गई थी। क्योंकि मद संख्या 3 हेतु RD 180 to 195 के लिए MB No. 2302 पृष्ठ संख्या 25 पर कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। जबकि मद संख्या 4 की प्रविष्टि RD 180 to 195 के लिए MB No. 2302 पृष्ठ संख्या 28 पर की गई थी। और संबन्धित माप पुस्तिका में इस बारे में विशेष टिप्पणी भी नहीं की गई थी। HPPWD Specification के अनुसार मद संख्या 3 के निष्पादन के उपरांत ही मद संख्या 4 भुगतान योग्य हैं। जब तक कि माप पुस्तिका में इस बारे कोई विशेष टिप्पणी न की गई हो। इस प्रकार अनुबन्ध की मद संख्या 3 का निष्पादन किए बिना ही मद संख्या 4 का भुगतान संदेहस्पद प्रतीत होता हैं। अत : अनुबन्ध की मद संख्या 4 के लिए संविदाकार को किए गए ₹20625 के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस मद हेतु किए गए भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Particulars	RD	Item No. 4 Executed & Paid	Rate of the Item No. 4 Per Cum	Total Payment made to Contractor
Item No. 4 as Per MB No.2302, P.No. 28	RD 180 To 195	15X(5.50+5.50)/2X0.10= 8.25m^3	2500	20625.00

9. संविदाकारों के निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण ₹1.33 लाख के अनुचित लाभ दिये जाने बारे।

Principle Secretary(Industry) to the Govt. of H.P. के पत्र सं० खण्ड-II(एफ०)6-5/2006, दिनांक 16.01.2012 और पत्र संख्या 5-49/79 Ind(Glg)Rules-2015-Vol-IV-1175 दिनांक 12.05.2015 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी देय है। वर्ष 2016-17 के दौरान संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित चलित बिलों के लिए किए गए भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कुछ प्रकरणों में जिनका विवरण **परिशिष्ट– घ** पर दिया गया हैं संविदाकारों के बिलों से निर्माण कार्यों में उपयोग में लाये गए पत्थरों के संदर्भ में न तो रायल्टी की कटौती नहीं की गई और न ही उपलब्ध अभिलखों में फॉर्म एम० संलग्न किए गए थे। इन निर्माण कार्यों के अवार्ड पत्र में शर्त के अनुसार **"The Royalty for the material i.e Sand and Stone used at the site will be deducted"** अर्थात निर्माण कार्यों में उपयोग की गई रेत और पत्थरों की प्रमात्रा के लिये मण्डल स्तर पर नियमानुसार रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए पत्थरों के लिए नहीं की गई थी, अपितु रेत के संदर्भ में **फार्म एम** . अभिलेखों में उपलब्ध था। अतः इस प्रकार संविदाकारों के भुगतान बिलों से पत्थरों के संदर्भ मे रायल्टी ₹132710 की कटौती न करके जहाँ एक ओर संविदाकारों को अनुचित लाभ दिया गया वही दूसरी और रायल्टी के रूप कटौती न करके सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुंचाई गयी है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अन्यथा भुगतान बिलों से देय दरों से रायल्टी की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

10. वाऊचर संख्या 119 दिनांक 24.01.2017 ₹1880505.30

निर्माण कार्य का नाम	C/o GSS Model School at Kandiary Shilai, Distt. Sirmour
संविदाकार का नाम	M/s Vishwa Bhumi
अनुबंध सं.	28 of 2012-13
चलित बिल	14th Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 87 of 2272

MS Flat 25X3mm हेतु गलत Conversion Factor लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 43(a) i.e "Steel Work Welded in Builtup Sections, in grating framed Guards, Bars, Ladders etc." के संदर्भ में ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या **43(a) i.e "Steel Work welded in builtup sections, in grating framed Guards,Bars,Ladders etc."** के सम्बन्ध में निष्पादित एवं संविदाकार को भुगतान की गई मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि 14th चलित बिल में MB No. 499 पृ.सं.94 **MS Flat 25X3mm** का **Conversion factor 1.70kg per** RMT लिया गया था जबकि निर्माण के लिए तय मापदण्डो के अनुसार **MS Flat 25X3** का **Conversion factor 0.60kg per** RMT लिया जाना चाहिए था। **Conversion factor** अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹**7698** का अधिक भुगतान किया गया। अत: इस अधिक भुगतान को

न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Recording MB/P.No.	Qty. of MS Flat 25X3 in RMT	Conversion Factor for taken per RMT	Conversion factor as per Rules per RMT	Excess conversion factor taken per RMT	Total Excess Qty in KG paid to Contractor	Rate as per agreement	Total Excess payment (₹)
499 P.No.94	**84.32**	**1.70kg per RMT**	**0.60 per RMT**	**1.10Kg per RMT**	**92.75KG**	**83/- per KG**	**7698/-**

11. वाऊचर संख्या 77 दिनांक 13.01.2017 ₹1629683/-

निर्माण कार्य का नाम C/o AE Office Cum Sub Divisional Store Building Nahan

संविदाकार का नाम M/s Prem Singh

अनुबंध सं. 24 of 2016-17

चलित बिल 1st Running Bill

Abstract of Cost MB Page No. 14 of 2318

Extra Item E1 i.e P/L CC of M-20 in Foundations Footing etc. तथा Extra Item E2 i.e P/L CC of M-20 in Columns, Pillers Posts etc. के रेट का निर्धारण गलत ढंग से किए जाने के कारण 1st चलित बिल तक संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान किए जाने बारे।

अनुबन्ध की शर्त 12(ii) में Extra Items की दर का निर्धारण करने बारे स्पष्ट तौर पर वर्णित किया गया हैं कि “If the rates for the additional, altered or substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work” इस शर्त के अनुसार Extra Items की भुगतान दर का निर्धारण अनुबन्ध की Similar Class की items की दर के अनुसार किया जायेगा। अंकेक्षण में उपरोक्त निर्माण कार्य के 1st चलित बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि Extra Item E1 i.e P/L CC of M-20 in Foundations Footing etc. तथा Extra Item E2 i.e P/L CC of M-20 in Columns, Pillers Posts etc. के रेट का निर्धारण गलत ढंग से किए जाने के कारण 1 st चलित बिल तक संविदाकार को निम्नविवरणानुसार **₹4682** (2915.84+1766.16) का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

ANALYSIS OF RATES								
SrNo	**Particulars**	**Qty**	**UNIT**	**Rate as per HPSR 2009**	**Total**	**Rate quoted by the Contractor**	**Total**	
1	**अनुबन्ध की मद संख्या 9 i.e P/L CC of M-20 (a) Suspended Floor, Roof etc.**	**22.26**	**cum**	**3658.15**	**81430.42**	**5200.00**	**115752.00**	
	TOTAL				**81430.42**		**115752.00**	
	% OF PREMIUM	**115752-81430.42/81430.42x100**			**42.15**	**%**		

Rate of Extra Item						
	Extra Item E1 i.e P/L CC of M-20 in Foundations Footings etc.	Basic rate as per HPSR 2009 item No. 0952010000 P.No.160			3658.15	
ADD:	Premium @42.15%	(3658.15x42.15%)			1541.91	
	TOTAL				5200.06	PER CUM
	Rate given to Contractor (Full Rate)				5484.48	PER CUM
	Rate given to Contractor as per MB No. 2318 P.No.11 i.e 66.70% of 5484.48				3658.15	PER CUM
	Rate as per Audit Calculation i.e 66.70% of 5200.06				3468.44	PER CUM
	Excess payment to Contractor per Cum				189.71	PER CUM
	Total Excess Payment to Contractor up to 1st Running Bill (15.37m^3 X 189.71)				2915.84	

ANALYSIS OF RATES								
SrNo	Particulars	Qty	UNIT	Rate as per HPSR 2009	Total	Rate quoted by the Contractor	Total	
1	अनुबन्ध की मद संख्या 9 i.e P/L CC of M-20 (a) Suspended Floor, Roof etc.	22.26	cum	3658.15	81430.42	5200.00	115752.00	
	TOTAL				81430.42		115752.00	
	% OF PREMIUM				42.15	%		
Rate of Extra Item								
	Extra Item E2 i.e P/L CC of M-20 in Columns,Pillers Posts etc.	Basic rate as per HPSR 2009 item No. 09320300 P.No.156					3954.20	PER CUM
ADD:	Premium @42.15%	(3954.20 x 42.15%)					1666.70	
	TOTAL						5620.90	PER CUM
	Rate given to Contractor (Full Rate)						5955.02	PER CUM
	Rate given to Contractor as per MB No. 2318 P.No.11 i.e 66.70% of 5955						3972.00	PER CUM
	Rate as per Audit Calculation i.e 66.70% of 5620.90						3749.00	PER CUM
	Excess payment to Contractor per Cum						223.00	PER CUM
	Total Excess Payment to Contractor up to 1st Running Bill (7.92m3 X 223)						1766.16	

12 वाऊचर संख्या 137 दिनांक 24.01.2017 ₹1627989.58

निर्माण कार्य का नाम	C/o Fire Station Building at Baddi
संविदाकार का नाम	Sh. Vishal Kumar Gupta
अनुबंध सं.	63 of 2015-16
चलित बिल	3rd Running Bill

Abstract of Cost MB Page No. 31 of 2295

अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशों की अवहेलना करके संविदाकार को ₹8.29 लाख का अनुचित लाभ दिये जाने बारे।

उपरोक्त निर्माण कार्य को निष्पादित करने में संविदाकार द्धारा ढिलाई करने के कारण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या HIMUDA-15-155/83-SE(S)-Tech Vol-XI-22-25 Dated 03.01.2017 द्वारा संविदाकार पर "5%only on Tendered Amount" से ₹8,29,351 का "Compensation Levied" किया गया था । **(पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट- पर संलग्न हैं)** साथ ही अधिशासी अभियन्ता हिमुड़ा मण्डल परवाणू को निर्देश दिये कि यदि संविदाकार निर्माण कार्य को शीघ्रता से नहीं करता तो उस पर अनुबन्ध की क्लॉज़ -2 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जाए। इस निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि 03.01.2017 के उपरांत संविदाकार को वाऊचर संख्या 137 दिनांक 24.01.2017 से 3rd चलित बिल का भुगतान किया गया। इस भुगतान में से Compensation की ₹829351 की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशों की अवहेलना करके संविदाकार को 3rd चलित बिल का भुगतान करके ₹829351 का अनुचित लाभ दिया गया। अत : इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा Levied Compensation की वसूली सम्बन्धित से की जाए ।

13. वाऊचर संख्या 166 दिनांक 31.01.2017 ₹991362.00

निर्माण कार्य का नाम	C/o Distt. Ayurvedic Hospital at Nahan
संविदाकार का नाम	Sh. Vishal Kumar Gupta
अनुबंध सं.	2 of 2015-16
चलित बिल	4th Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 41 of 2278

अनुबन्ध की मद संख्या 47.01(a) i.e Steel Work Welded in Built up Sections, Trusses in Beams, Joints Channel Angles, Tees, Flats with connecting plates or angles Cleats in main and cross beams. के संदर्भ में संविदाकार को ₹0.14 लाख का अनुचित भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के 4th चलित बिल के संदर्भ में संविदाकार को किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 47.01(a) i.e Steel Work Welded in Builtup Sections, Trusses in Beams, Joints Channel Angles, Tees, Flats with connecting plates or angles Cleats in main and cross beams. माप पुस्तिका संख्या 2279 पृ.सं. 43 पर 4.42Qtl निष्पादित की गई थी। इस निष्पादित की गई मात्रा में 180 संख्या (12X120mm) Holding Bolt की मात्रा जो 1.62 Qtl (180 x 0.90) बनती है शामिल थी। CPWD Specification के अनुसार Steel Work Welded in Built up Sections में Welded का भुगतान किया जाता हैं तथा साथ ही इस मद हेतु Bolt, Rivert इत्यादि का भुगतान मान्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस मद की Executive Engineer, HIMUDA Division Parwanoo स्तर पर स्वीकृत की

गई Rate of Analysis की पड़ताल करने पर भी पाया गया कि Rate of Analysis में भी Bolt इत्यादि की लागत का कोई वर्णन नहीं किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को 180 संख्या (12X120mm) Holding Bolt मात्रा 1.62Qtl हेतु **₹13770** का अनुचित भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा **₹13770** की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Recording MB No. 2279 P.No. 43

H/P Bolts 12X120mm	180 Nos.
Conversion Factor for H/P Bolts 12X120mm	0.90 per Bolt
Total Qty in KG(180X0.90)	162.00kg or 1.62Qtl
Rate per Qtl	8500.00 per Qtl
Total Excess payment (1.62Qtl.X8500)	13770.00

14. वाऊचर संख्या 145 दिनांक 27.01.2017 ₹13589293.00

निर्माण कार्य का नाम	Up gradation Improvement of Existing WSS PWN
संविदाकार का नाम	Sh.Virender Sharma
अनुबंध सं.	17 of 2015-16
चलित बिल संख्या	2nd Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 41 of 2254

नियमों के विपरीत संविदाकार को Work Done and measured के संदर्भ में ₹24.28 लाख का अनुचित अग्रिम प्रदान किए जाने बारे।

CPWD Works Manual 2010 के नियम 32.1 (1)(ii) Advance payment for work done and measured के अनुसार "Advance Payments to Contractors against on account bills received in the Divisional Office may be made by Divisional Officers, on receipt of an application from the Contractor for financial aid in the shape of part payment, shall make a lump-sum advance payment on Hand Receipt Form 28, subject to the following conditions:

The amount of advance should not exceed 75% of the net amount of the bill under check but no advance payment will be admissible in cases where the amount of advance payable works out to less than ₹20000

उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार/ठेकेदार को वाऊचर संख्या 82 दिनांक 04.05.2016 द्वारा ₹40,00,000.00 का अग्रिम भुगतान, यह प्रमाण पत्र देकर कर दिया गया कि संविदाकार /ठेकेदार का 2nd चलित बिल उप -मण्डल स्तर पर लंबित हैं तथा संविदाकार /ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य ₹45,00,000.00 से कम नहीं हैं। इस अग्रिम राशि का समायोजन संविदाकार के 2nd चलित बिल से ₹1343000.00 और 3rd चलित बिल से ₹2657000 को किया गया था। संविदाकार के 2nd चलित बिल की जाँच करने पर पाया गया कि यह निर्माण बिल केवल ₹20,95,680.50 के लिए था। उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार केवल किये गए कार्य के 75% मुल्य के बराबर ₹1571760/- (2095680.00 X75% = ₹1571760) के

अग्रिम हेतु पात्र था। इस विवरण से स्पष्ट होता हैं कि नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुये संविदाकार/ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुये निम्नविवरणानुसार ₹2428240/- का अग्रिम प्रदान किया गया। अत : इस अग्रिम भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि पर हुये ब्याज की हानी की गणना प्रचलित दर से करते हुये सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए।

2nd Running Bill – Value of Work Done	
Total Work Done up to 2nd Running Bill MB No. 2254 P.No. 4	13589292.50
Less Already Paid	11493612.00
Value of Work Done	2095680.50
Less: Deduction regarding IT,Security, Sales Tax,Cess BD Charges	752404.00
Net Payment Due	1343276.50
Advance eligible under Rule 32.1(1)(ii)	
Value of Work Done	2095680.50
75% of the Value of Work Done	1571760.00
Advance Granted to Contractor under Vr. No. 82 of 04.05.2016	4000000.00
Excess Advance granted to Contractor	2428240.00

15 नियमों की अनदेखी करके "Work Done But Not Measured" के बदले में ₹8.00 लाख के अग्रिम प्रदान कर संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारे

CPWD Works Manual 2010 के Section 32.2(1)(a) Advance Payment for work done but not measured के अनुसार " Advance to Contractors are, as a rule, prohibited and payments to Contractors should not be made until detailed measurements of the work have been taken and recorded. Advance payments may, however, be made in cases of real necessity, when it is essential to do so, and in such cases previous sanction of the Superintending Engineer concerned should invariably be obtained.

चयनित मास के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित चलित बिलों के अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न संविदाकारों को **"Work Done But Not Measured"** के आधार पर अग्रिम प्रदान किया गया था। अग्रिम वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि **Work Done But Not Measured** के आधार पर अग्रिम प्रदान किए जाने से पूर्व **Section 32.2(1)(a)** के अंतर्गत **Superintending Engineer, Himuda** की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त नियम की अनदेखी करके संविदाकारों को ₹**800,000** का अग्रिम प्रदान करके अनुचित लाभ दिया गया। विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: **Superintending Engineer, Himuda** की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही संविदाकारों को **"Work Done But Not Measured"** के आधार पर अग्रिम प्रदान करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी अग्रिमों के संदर्भ में वर्तमान में कार्योतर स्वीकृति (Ex-postfacto Sanction) प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में **"Work Done But Not Measured"** के आधार पर अग्रिम प्रदान किए जाने से पूर्व **Section 32.2(1)(a) के अंतर्गत Superintending Engineer, Himuda** की पूर्व अनुमति प्राप्त

किया जाना सुनिश्चित किया जाए । तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Detail of Advance granted to Contractors for Work Done But Not Measured								
Sr.No.	**Name of Work,Agreement No.**	**Detail of Advance**		**Detail of Measurement**		**Detail of Adjustment of Advance**		**Remarks**
		Vr.No. & Date	**Amount of Advance Granted**	**Date**	**Record MB No. & Page No.**	**Vr No.**	**Date**	
1	**C/o Sr.Sec.School Building at Kotbeja , Agreement No. 22 of 2014-15**	9 02.03.2016	500000.00	02.03.2016	2260 & 54	29	01.04.2016	Prior Approval of SE HIMUDA not in record.
2	**C/o Distt. Ayurvedic Hospital at Nahan Agreement No. 2 of 2015-16**	136, 23.11.2016 134, 24.12.2016	300000.00	27.11.2016	2279 & 29	166	01/2017	Prior Approval of SE HIMUDA not in record.
	Total		**₹800000**					

16. E.Tendering के माध्यम से आबंटित किए गए निर्माण कार्यों का उनकी Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम होने के कारण सभी निर्माण कार्यों को E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए जाने बारे।

हिमुड़ा के पत्र संख्या HIMUDA/CE/Design/ e-procurement/2013 दिनांक 7-8-2013 के अनुसार ₹40 लाख से अधिक के निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से कार्य का आबंटन किया जाना आपेक्षित है। Tender Allotment रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जो निर्माण कार्य E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए गए थे उनकी Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम था। E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 10.83% से 26.94% **Below** था। जबकि अन्य निर्माण कार्य जो Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किए गये थे, का प्रतिशत **41.91**% से **82.84**% **Above** था। जिससे यह प्रतीत होता है कि जो निर्माण कार्य E–Tendering के माध्यम से आबंटित किए जा रहे है उनका आबंटन मूल्य Manual Tendering की तुलना में बहुत कम था । अत: यह प्रकरण हिमुड़ा के उच्च अधिकारियों के ध्यान मे इस आशय के साथ लाया जाता है कि निर्माण मण्डल के सभी निर्माण कार्यों का आबंटन E–Tendering प्रणाली के अंतर्गत किया जाना

सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उपरोक्त पत्र द्धारा निर्देशित ₹40 लाख की सीमा को कम किया जाना चाहिए । जिससे निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर किया जा सके और जिससे निर्माण कार्य की लागत कम हो सके।

Sr. No.	Name of Work	Year of Allotment	Estimated Cost/Threshold Value	Awarded Amount	% Above or Below the Estimated Cost/Threshold Value		Type of Tender
1	PSFS at Bhatolikhurd (SH: Dev Work i/c C/o U Shape Strom Water Drain)	2016-17	10708176.00	9336121.70	-12.81	%Below	E-Tender
2	PSFS at Bhatolikhurd (SH: C/o Roads i.e Wet Mix Macdum Bitumen)	2016-17	9715142.00	7098300.00	-26.94	%Below	E-Tender
3	IRT at Mandhala Distt Solan(SH: Development Works)	2016-17	13928695.00	12420166.05	-10.83	%below	E-Tender
4	C/o Assistant Engineer Office Cum Store Building at Nahan Ph-I Distt. Sirmour.	2016-17	2201828.00	3530591.30	60.35	%Above	Manual
5	C/o Industrial Township at Bhatoli Bddi Kalan Distt. Solan H.P.(SH: Development of Green Area)	2016-17	2413938.00	3425712.60	41.91	%Above	Manual
6	C/o Pollution Control Board Office Building at Shubkhera Distt Sirmour	2016-17	5727833.00	8207784.32	43.30	%Above	Manual
7	C/o Industrial Township at Bhatoli Baddi Kalan Distt. Solan H.P.PH-IV(SH: Development of Green Area)	2016-17	1907927.00	3488493.10	82.84	%Above	Manual

17. अग्रिमों का बिल/वाऊचरों के बिना समायोजन किए जाने बारे।

वर्ष 2016-17 के भण्डार अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि समायोजन वाऊचरों जिनका विवरण संलग्न **परिशिष्ट- "च"** पर दिया गया हैं द्धारा विविध अग्रिमों का समायोजन किया गया था। परंतु समायोजन से संबन्धित बिल वाऊचर जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था समायोजन वाऊचरों के साथ संलग्न नहीं थे व समायोजन वाऊचरों में केवल **GR** संख्या अंकित की गई थी साथ ही संबन्धित **GR** के साथ भी बिल/वाऊचर संलग्न नहीं थे , जिसके अभाव में अग्रिम राशियों के समायोजन की पुष्टि नहीं हो सकी। बिना बिल/वाऊचर प्राप्त किए ही अग्रिम राशियों का समायोजन करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। अत : बिना बिल वाऊचर प्राप्त किए अग्रिम राशियों का समायोजन किये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी अग्रिम राशियों से संबन्धित बिल वाऊचर , ए. पी. आर. इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए। भविष्य में भी

अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु आवश्यक बिल वाऊचर इत्यादि संलग्न किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए।

18. ब्रिक वर्क की कार्यमात्रा में से होल्ड फास्ट की कार्य मात्रा को कम न करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान

अनुबंध की मद **P/F 40X3mm Flat Iron Hold Fast in CC Block 0.30mX0.10mX0.15m in CC 1:3:6** और मद **Brick Work using 2nd Class in super structure** की पड़ताल करने पर पाया गया की दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्टों को ईंट की दीवार में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट ब्लाक साईज 0.30mX0.10mX0.15m बनाने का प्रावधान था तथा होल्डफास्टों को लगाने के लिए अनुबंध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्धारा भरी गई दरों से भुगतान किया गया था। इस संबंध में भुगतान किए गए ब्रिकवर्क की मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्डफास्ट को लगाने के लिए दीवारों में बनवाए गए सीमेंट कंक्रीट ब्लाक की मात्रा को ब्रिकवर्क की कार्यमात्रा से कम नहीं किया गया था। जबकि कार्य सपसीफिकेशन (ब्रिकवर्क) के अनुसार 0.10 वर्गमी. के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिकवर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता हैं और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता हैं। इस प्रकार सीमेंट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक का कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्डफास्ट के भुगतान में सीमेंट कंक्रीट के ब्लाक का भुगतान कर दिया गया। अत: होल्डफास्ट में प्रयोग सीमेंट कंक्रीट के ब्लाक की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। एक बार ब्रिकवर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्डफास्ट के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹5429 का अधिक भुगतान किया गया। अत: अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए , अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Sr No.	Voucher No./ Dt	Amount	Name of work & MB No.	No. Hold Fast Paid	Qty of Brick Work which was paid twice to the Contractor in m3	Rate of Brick Work Per m3	Total Amount
1	166/ 31.01.2017	991362.00	C/o Distt. Ayurvedic Hospital at Nahan MB No. 2278 P.No. 33, MB 2279 P.No. 39-40	208	0.30X0.15X0.10X208 = 0.936m3	5800.00	5428.80
							5428.80

19. आर. आर. मैसनरी की मात्रा से वीप होल्स की मात्रा को कम न करने के कारण ₹1333.00 **का अधिक भुगतान**

निर्धारित निर्माण मापदण्डों के अनुसार **आर. आर. मैसनरी** के भुगतान के समय **आर. आर. मैसनरी की देय मात्रा मे से वीप होल्स हेतु प्रयोग** 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के

बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी क्योंकि वीप होल्स की लगाने के स्थान पर **आर. आर. मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती** । निम्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि **आर. आर. मैसनरी** की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार संविदाकारों को **₹1333.00** का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Sr No.	Voucher No./ Dt	Amount	Name of work & MB No.	No. WEEP WHOLE PAID of 75 mm dia (Qty in RMT)	Qty of RR Masonary which was paid twice to the Contractor	Rate of RR Masonary Per m^3	Total Amount
1	119/ 24.01.2017	1880505.30	C/o GSS Modal School at Kandiary Shilai. Distt. Sirmour	97.05	22/7X0.0375X0.0375X97.05=0.43m^3	3100.00	1333.00
							1333.00

20. निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के संबंध में लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत न करना

अनुबंध की General Specification & Conditions की शर्त 13 के अनुसार " The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work"

निम्न निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध की मद **"Providing wood work in frames of Doors,windows etc."** हेतु. का भुगतान संविदाकारों को किया गया था। इस मद के निष्पादन में प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित कोई भी बिल इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अत: अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी खरीद का बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने से पूर्व लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबंध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की

खरीद से संबन्धित अभिलेख संविदाकारों से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Sr .No	Name Of Work/Agreement no	Name of item/Item No	Voucher No /Date	M.B.No /Page No	Name of Running Bill	Qty Of Wood Work	Rate of Wood Work	Total Amount
1	C/o SSSchool Kotbeja, Agreement No. 22 of 2014-15	23 i.e Prov. Wood work in Frames of Doors	33, 04.01.2017	2260, 97	6th Running Bill	13.215m^3	81000.00 per m^3	1070415.00
							Total	1070415.00

21. अनुबंध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्यों में ₹131.43 लाख का अनियमित भुगतान ।

निर्माण कार्यों जिनका विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"छ"** पर दिया गया हैं , के संदर्भ में निष्पादन हेतु आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार **"No deviation Extra, Substituted item is permissible at site without the prior written approval on the Competent Authority".** इन निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलो की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न चलित बिलों में अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुबंध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन /निष्पादित एवं भुगतान किया जा चुका था। जो कि अनुबंध की मान्य शर्तो का सीधा उल्लंघन था। अत: बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अनुबंध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन/ निष्पादित एवं भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

22. विभिन्न निर्माण कार्यों में अतिरिक्त (Extra) और प्रतिस्थापित (Substituted) मदों पर ₹8.41 लाख का अनियमित भुगतान किए जाने बारे।

निर्माण कार्यों जिनका विवरण निम्न दिया गया हैं , के संदर्भ में निष्पादन हेतु आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार **"No deviation Extra, Substituted item is permissible at site without the prior written approval on the Competent Authority".** परन्तु इन निर्माण कार्यों से संबन्धित विभिन्न चलित बिलो की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न चलित बिलों में निम्न मदों के सम्बन्ध में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अतिरिक्त (Extra) और प्रतिस्थापित मदों (Substituted) का निष्पादन एवं भुगतान किया जा चुका था, जो कि अनुबंध की मान्य शर्तो का सीधा उल्लंघन था। अत: बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के Extra और Substituted Items के निष्पादन एवं भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

Statement in R/O Extra/Substituted Items

Sr. No.	Name of Work,Aggrement No.	Name of Item	Running Bill No.	MB No./ P.No.	Qty of Extra Item / Substituted Item	Unit	Rate	Unit	Total Payment Made
1	C/o GSS Model School	P/L CC 1:2:4 (a)	14th	2272/73	23.13	Cum	3700	Cum	85581

	at Kandiary Shilai, 28 of 2012-13	**Foundation & Plinth**							
		P/F 10mm thick antiskid water proof stain and impect vertified Tiles		**2272/73**	**64.88**	**Sqm**	**1231**	**Sqm**	**79867**
		P/F vitreous China Pedstat for wash basin		**2272/74**	**12**	**Nos**	**1014**	**each**	**12168**
		Applying Birla white Putty		**2272/74**	**2928.9**	**Sqm**	**45**	**Sqm**	**131801**
2	**C/o School Building for GSrSecSchool at anog & Ronhat Sirmour, 21 of 2015-16**	**P/L CC 1:5:10 with 15% Plum Concrete**	**7th**	**2263/45**	**183.45**	**Cum**	**2900**	**Cum**	**532005**
	Total								**841422**

23. सेवाकर ₹133.26 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाया जाना :

संविदाकारों के चलित बिलों से नियमानुसार सेवाकर की कटौती की गई थी। कटौती की गई ₹**13325649** को दिनांक 31.3.2017 तक Custom & Central Excise Deptt. में जमा नहीं करवाया गया था। संविदाकारों के चलित बिलों से Service Tax की राशि को कटौती करके संबन्धित विभाग में जमा न किया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि Service Tax की कटौती की गई राशि को देरी से संबन्धित विभाग में जमा करवाया जा रहा था। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कटौती की गई सेवाकर की राशि को शीघ्र संबन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24. तकनीकी कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण करने के कारण ₹1.53 लाख का अधिक भुगतान

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच पर पाया गया कि विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों को समय-2 पर पुरानी "सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील जीवन योजना" 8-16-24-32 तथा नई योजना 4-9-14 के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करके वेतन निर्धारण किया गया। जबकि वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन(पीआर)बी(7)-45/2010, दिनांक 29.5.2014 के अनुसार इन कर्मचारियों को उक्त योजनाएं लागू नहीं है व इनके स्थान पर इन्हें **Three tier pay structure** लागू है। जांच के दौरान पाया गया कि **Three tier pay structure** के अन्तर्गत वेतन पुनः निर्धारित करते समय उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में प्रदान वित्तीय लाभों को withdraw नहीं किया गया था जिसके कारण वेतन का गलत निर्धारण कर दिया गया। परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को दिनांक 31.3.2017 तक **परिशिष्ट "ज"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1,52,717 का संभावित अधिक भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा चर्चा के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। अतः इस प्रकार अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25. Out Source आधार पर तैनात स्टाफ को ₹0.79 लाख के भुगतान बारे

चयनित माह 01/2017 के भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वाउचरों द्वारा Out Source basis पर तैनात स्टाफ से विभिन्न कार्य करवाये गये जिसके लिये उन्हें कुल ₹79400 का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त स्टॉफ को रखने का क्या आधार था तथा इनको तैनाती प्रदान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति इत्यादि प्राप्त की गई थी अथवा नही के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख में कुछ भी संलग्न नहीं था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36/2018, दिनांक 24.2.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति/आदेश आवश्यक पुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें ताकि किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जा सके।

क्रम सं०	वाउचर सं०दिनांक/	कार्य माह	व्यक्ति का नाम	लेखा शीर्ष जिसे व्यय प्रभारित किया	भुगतान राशि	कार्य का विवरण
1	7.1.17/42	2016/12	विजय कुमार,	AR & MO WSS Parwanoo (Salary & wages A/C)	9,500	Preparation of water bills Parwanoo
2	437.1.17/	2016/12	पूर्ण सुख,	AR & MO WSS Parwanoo (Salary & wages A/C)	7,200	Supervision of water supply scheme/ledger posting, Parwanoo
3	447.1.17/	2016/12	जस्सु राम,	AR & MO WSS Parwanoo (Salary & wages A/C)	9,500	Preparation of water bills Parwanoo
4	59/111.17.	10/2016 112016/	अनिल कुमार थापा,	AR & MO WSS Poanta (Salary & wages A/C)	5,000	Preparation of water bills/ledger posting in r/o Housing colony Poanta Sahib
5	6011.1.17/	12/2016	मीना देवी,	AR & MO Guest House Sector-3 Parwanoo (Salary & wages A/C)	6,200	Cleaning & sweeping Guest House Sector-3, Parwanoo
6	113/201.17.	10/2016 11/2016 2016/12	हेम राज,	AR & MO WSS Nalagarh (Salary & wages A/C)	21,600 (7200x3)	Pump Operating in Housing Colony, Nalagarh
7	131/241.17.	2016/12	कृष्ण चन्द,	AR & MO WSS Mandhala (Salary & wages A/C)	7,200	Caretaking water supply scheme, Mandhala
8	132/241.17.	2016/12	गुरदेव सिंह,	AR & MO WSS Mandhala (Salary & wages A/C)	6,000	Caretaking of Plants of HIMUDA colony Mandhala
9	133/241.17.	2016/12	मोहन लाल	AR & MO WSS Mandhala (Salary & wages A/C)	7,200	Operating water supply of HIMUDA Township, Mandhala

	कुल	**72,200**	

26. **मकान किराया ₹0.12 लाख की कम वसूली किए जाने बारे**

श्री पूर्ण सुख, चपड़ासी दिनांक 30.11.15 को सेवा निवृत हुआ। कर्मचारी को हिमुडा आवास टाइप-I (फ्लैट A-4, ब्लॉक बी० -4) आबंटित था जिसे दिनांक 31.1.2017 को 14 माह बाद खाली किया गया। हि०प्र० सरकारी आवास आबंटन नियम , 1994 व 2008 के नियम 10(2)(ii) व इसकी Explanation-4 के अनुसार कोई भी कर्मचारी सेवा निवृति के पश्चात चार माह तक ही सरकारी आवास को रियायती दर पर रख सकता है तथा इसके पश्चात टाइप-I आवास को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ₹3000 प्रति माह की दर से अग्रिम भुगतान करके रखा जा सकता है। परन्तु चयनित माह 01/2017 के भुगतान वाउचर संख्या 89, दिनांक 17.1.2017 की जांच करने पर पाया गया कि कर्मचारी से केवल ₹18000 मकान किराये की राशि वसूल की गई जबकि नियमानुसार ₹30000 की वसूली बनती थी। इस प्रकार ₹12000 की राशि कम वसूल की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः कम वसूली की राशि को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी संबन्धित कर्मचारी से शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

अवधि जिसका किराया देय था	**वसूली की दर (₹)**	**राशि जो वसूल की जानी थी (₹)**	**राशि जो वसूल की गई (₹)**	**कम वसूली (₹)**
सेवानिवृति 30.11.15 के 4 माह पश्चात से अर्थात 1.4.2016 से 31.1.17 तक (10 माह)	3,000	30,000	18,000	12,000

27. **मकान किराया भत्ता ₹1150 का अधिक भुगतान ।**

मण्डल परवाणु के वर्ष 2016-17 के वेतन रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री अंकुश वर्मा, लिपिक जिसका मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर) ₹10,300 था, को अवधि 9/2016 से 7/2017 अर्थात 11 माह तक ₹450 प्रतिमाह की दर से कुल ₹4,950 मकान किराया भत्ते के रूप में भुगतान किया गया। परन्तु वित्त (विनियम) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: फिन(सी)बी(7)1/2012, दिनांक 28.2.2012 के अनुसार मकान किराया भत्ता ₹350 प्रति माह की दर से देय था। इस प्रकार केवल ₹3,850 (350x11) मकान किराया भत्ते का ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप ₹1150 (4950-3850) का अधिक भुगतान किया गया। हालांकि अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर मण्डल कार्यालय द्धारा उक्त

अधिक भुगतान राशि ₹1150 की वसूली अंकेक्षण के दौरान ही संबन्धित कर्मचारी के वेतन माह 2/2018 से कर ली गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

28. कर्मचारी के अवकाश खाते में 30 दिन का अर्जित अवकाश अधिक जमा किए जाने बारे

विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में अवकाश खातों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री सुरिन्दर शांडिल , वर्क इंस्पेक्टर (अब जूनियर टेकनीशियन) के अवकाश खाते में 30 दिन का अर्जित अवकाश अनियमित प्रकार से अधिक जमा किया गया था जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है। अतः पाई गई अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व उक्त कर्मचारी के अवकाश खाते में आवश्यक सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये

सेवा पुस्तिका पृष्ठ संख्या	व्यतीत की गई अर्जित अवकाश अवधि	खाते से घटाया गया अवकाश	अवकाश जो घटाया जाना था	परिणामतः खाते में अधिक जमा अर्जित अवकाश
94	26.4.13 से 7.5.12=12 दिन	दिन 2	दिन 12	दिन 10
94	5.5.14 से 10.6.14=37 दिन	दिन 27	दिन 37	दिन 10
98	Advance Credit 1.7.2016 = 15 दिन	25दिन खाते में credit अवकाश	15दिन खाते में जो अवकाश Credit होना था	दिन 10
			योग	**दिन 30**

29. विभिन्न खातों के दिनांक 31.3.2017 के शेष ₹1.84 लाख को अनियमित प्रकार से Debit दर्शाए जाने बारे

स्थापना खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को निम्न वर्णित लेखा शीर्षों में ₹1,83,589 का डेबिट शेष पाया गया:-

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	स्थापना खाता बही पृष्ठ	दिनांक 31.3.17 को डेबिट शेष (₹)
1	Board Share Exp. A/C	105	81642
2	GIS	112	101947
		योग	**183589**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इन खातों में देय (Credit) राशि से अधिक राशि का भुगतान (Debit) किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35/2018, दिनांक 24.2.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये व इन खातो में आवश्यक सुधार करके अपेक्षित से अनुपालना अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

30 विभिन्न खातों से ₹6.76 लाख के अन्तशेषों को Carry Over न किया जाने बारे

निर्माण मण्डल परवाणु के वर्ष 2015–16 के खातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि Works Ledger and Estt. Ledger के विभिन्न खातों के दिनांक 31.3.2016 के निम्नविवरणानुसार ₹67628881.5 के अन्तशेषों को वर्ष 2016–17 की खाता बही में प्रारम्भिक शेष के रूप में Carry Over नहीं किया गया था जिससे इन खातों के दिनांक 31.3.2017 के कुल शेष की पुष्टि नहीं होती। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34/2018 दिनांक 24.2.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व खातों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जायेः–

क्र0सं0	खाते का नाम	खाता बही पृ0	राशि जो Carry Over की जानी थी	राशि जो Carry Over की गई	अन्तशेष राशि जो 2016–17 की खाता बही में Carry Over नहीं की गई
Works Ledger					
1	C/O PSFS at Baddi Phase-III	29	48639.00 Dr.	0	48639.00 Dr.
2	C/O 256 Nos. Flats for Industrial Workers Ph-IV, Baddi	57	66291000.75 Dr.	0	66291000.75 Dr.
Estt. Ledger					
3	Bank Charges	35	29492.84 Cr.	0	29492.84 Cr.
4	CSS A/C E.E. (E) Division Shimla	362	3045979 Cr.	1791630 Cr.	1254349 Cr.
5	Water Supply Subhkhera	410	6000Cr.	600 Cr.	5400Cr.
				Total	**67628881.59**

31 विभिन्न खातों के अन्तशेष ₹15.33 लाख को तलपट में गलत दर्शाया जानाः–

निर्माण मण्डल परवाणू के वर्ष 2016–17 की खाता बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि Works Ledger and Estt. Ledger के विभिन्न खातों से दिनांक 31.3.2017 को ₹1532767 के अन्तशेषों को तलपट (Trial Balance) में गलत उठाया गया था या उठाया ही

नहीं गया था। इस प्रकार की त्रुटियों के कारण मण्डल के लेखें सही स्थिति नहीं दर्शाते है जिसके कारण किसी भी वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2018, दिनांक 24.2.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः पाई गई त्रुटियों के सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व खातों में आवश्यक सुधार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जायेः–

क्र0सं0	खाते का नाम	खाता बही पृ0	दिनांक 31.3.17 को खाते का शेष	तलपट में दिनांक 31.3.17 को लिया गया शेष	अन्तर
Works Ledger					
1	C/O Pollution Control Board, Subhkhera	138	91288 Credit	636288 Credit	545000
2	C/O Pollution Control Board Subhkhera 3rd & 4th Floor	140	500000 Credit	0 Credit	500000
Estt. Ledger					
3	Stock Storage Account	327	9620368 Debit	32184576 Debit	4460
		331	10225824 Debit		
		338	12333924 Debit		
4	Stock Storage Account	340	55003 Debit	110590 Debit	970
		343	15813 Debit		
		347	38804 Debit		
		340	234728 Credit	1384474 Credit	482337
		343	318734 Credit		
		347	348675 Credit		
				Total	**1532767**

32 विविध सामग्री ₹2.16 के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताऐंः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय करने से पूर्व निविदायें इत्यादि आमन्त्रित की जानी अपेक्षित है। तत्पश्चात न्यूनतम निविदाकार से ही मदों का क्रय किया जाना था। परन्तु चयनित माह 01/2017 के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित वाउचरों द्वारा ₹215708 का भुगतान विभिन्न प्रकार की मदों के क्रय हेतु किया गया परन्तु प्रस्तुत अभिलेख में क्रय सम्बन्धी निविदायें इत्यादि संलग्न नहीं थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2018, दिनांक 24.2.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों

सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख स्टॉक रजिस्टर सहित आवश्यक पुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जा सके।

क्र0सं0	वा0सं0 / दिनांक	बिल सं0 / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	भुगतान राशि
1	65 / 11.1.17	4427 / 1.7.2016	किरण इलेक्ट्रिनिक्स पौंटा साहिब	Street Light with Complete Fixtures	10000
2	75 / 13.1.17	28754 / 9.1.17	शिवम इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन साईं रोड बद्दी	Submersible cable (10mm x 3 core make L & T)	62130
3	76 / 13.1.17	28005 / 24.10.16	–यथोपरि–	Aluminium Cable	7454
4	128 / 24.1.17	1651 / 26.10.16	मै0 अग्रवाल एंड कम्पनी सैक्टर–1 परवाणू	Distemper material	9526
5	129 / 24.1.17	6131 / 25.10.16	–यथोपरि–	GI Union, Socket etc.	9827
6	130 / 24.1.17	7179 / 5.12.16 व 7443 / 13.12.16	–यथोपरि–	GI Pipes uion socket etc.	17523
7	134 / 24.1.17	169 / 29.11.16	भाटिया इन्जीनियरिंग वर्कस बद्दी	Repair of 4” pipe at H/C Baddi	8000
8	150 / 27.1.16	73052 / 19.1.17	जैन सन्स, मनीमाजरा	Pen Stend Etc.	4950
9	157 / 29.1.17	334 / 29.11.16	विश्वकर्मा इन्जीनियरिंग वकर्स	Delivery Body neck, lmpeller neck etc.	4375
10	158 / 29.1.17	5 / 2016–17, 12.1.16	विजेन्द्र रघुवंशी, नाहन	P/F arrow sign board of MS Sheet etc.	18600

		7/2016–17, 12.1.17	विजेन्द्र रघुवंशी, नाहन	P/F sign board of MS sheet etc.	24750
		6/2016–17 12.1.17	विजेन्द्र रघुवंशी, नाहन	P/F arrow sign board of MS sheet etc.	19375
11	159/29.1.17	44/2.11.16	कुशाल कुमार बद्दी	Cleaning & disposal of gardage	9600
		45/2.12.16	कुशाल कुमार बद्दी	Cleaning & disposal of garbage	9600
				Total	**₹215708**

33 स्टील ₹8.37 लाख को बिना दर संविदा (Rate Contract) के क्रय किए जाने बारे

चयनित माह 1/2017 के भुगतान वाउचर संख्या 49, दिनांक 10.1.2017 की जाँच करने पर पाया गया कि परवाणू मण्डल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार ₹836947 की स्टील का क्रय किया गया। परन्तु क्रय करने से सम्बन्धित दर संविदा (Rate Contract) इत्यादि की प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख में नहीं पाई गई। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31/2018, दिनांक 24.2.2018 का मण्डल कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रति उत्तर नहीं दिया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा इसे आवश्यक पुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जा सके।

आपूर्तिकर्ता	बिल सं0/दि0	स्टील	मात्रा (एम0टी0)	दर (प्रति एम0टी0)	राशि (₹)
साबू टोर स्टील लि0 त्रिलोकपुर रोड काला अम्ब–173030	शून्य/23.12.16 (Ref. No. 5280-83, dated 9.12.2016)	20 एम0एम0	05	39807	199035
		25एम0एम0	15	39807	597105
				जोड़	**796140**
				वैट 5%	**39807**
		पी0जी0टी0 @ ₹50 प्रति एम0टी0			**1000**
				कुल जोड़	**₹836947**

34 विविध अग्रिम ₹152.34 लाख समायोजन हेतु शेषः—

विविध अग्रिम से सम्बन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹15234537.64 समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ पिछले कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित पड़ी हुई है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवही की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी शीघ्र अवगत करवाया जाए।

35 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

36 निष्कर्षः— लेखाओं के रख रखाव में सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88—खण्ड—18—5476—5478 दिनांकः 21.08.18
शिमला—09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल—परवाणू, जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

3. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला—2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1 (ख) के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट–क

(अंकेक्षण पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में)

(1) निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानान्तरित पैरे

1	अवधि 1984–85	पैरा 19 एफ	अनिर्णीत

(2) शिमला मण्डल–II से परवाणू निर्माण मण्डल को स्थानांतरित पैरे

(i) टंकेक्षण अवधि 04/91 से 03/1992

1	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत

निर्माण मण्डल परवाणु

(3) अंकेक्षण अवधि 04/1995 से 03/1996

1	पैरा–9	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण अवधि 04/2006 से 03/2007

1	पैरा–20	निर्णीत (Deviation Statements को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात)

(5) अंकेक्षण अवधि 04/2008 से 03/2009

1	पैरा–17	आंशित निर्णीत

(6) अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

1	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण अवधि 04/2013 से 03/2014

1	पैरा–4 (ग) (i, ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–14	अनिर्णीत
4	पैरा–15	अनिर्णीत

5	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2015

1	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा–16	अनिर्णीत	
4	पैरा–22	अनिर्णीत	
5	पैरा–26	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2016

1	पैरा–4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित अनुपालना एवं अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
5	पैरा–6	अनिर्णीत	
6	पैरा–7	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
7	पैरा–8	निर्णीत	(शेष ₹1903 की वसूली माप पुस्तिका संख्या 2283 पृष्ठ 82 में संविदाकार के अन्तिम बिल से करने के पश्चात)
8	पैरा–9	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (क)	निर्णीत	(₹3356 की वसूली संविदाकार के Earnest/Security A/C से जनरल वाउचर संख्या 2 ऑफ 8/2017 (जनरल रजिस्टर पृष्ठ–27) द्वारा करने के पश्चात)
10	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

11	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(₹8045 की वसूली प्राप्ति वाउचर संख्या 101, दिनांक 28.12.2017 द्वारा करने के पश्चात)
12	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(₹2064 की वसूली प्राप्ति वाउचर संख्या 101, दिनांक 28.12.2017 द्वारा करने के पश्चात)
13	पैरा–12 (क)	निर्णीत	(₹3391 की वसूली रसीद संख्या 123142 दिनांक 6.3.18 द्वारा करने के पश्चात)
14	पैरा–12 (ख)	निर्णीत	(पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB Tender Notice/2012-6912-14, dated 6.3.2018 द्वारा कार्य की मद संख्या 1 के सम्बन्ध में अपेक्षित Corrigendum जारी करने के पश्चात)
15	पैरा–13	निर्णीत	(₹1150 की वसूली रसीद संख्या 123141, दिनांक 6.3.2018 द्वारा करने के पश्चात)
16	पैरा–14	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
17	पैरा–15 (i)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
18	पैरा–16	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
19	पैरा–17	अनिर्णीत	
20	पैरा–18	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
21	पैरा–19	निर्णीत	(i) (₹1097 की वसूली रसीद संख्या 123094, दिनांक 16.2.2018 द्वारा करने के पश्चात) (ii) (₹530 की वसूली रसीद संख्या 123095, दिनांक 16.2.2018 द्वारा जारी करने के पश्चात) (iii) (₹10109 की वसूली जनरल वाउचर संख्या 8 ऑफ 1/2018 (जनरल रजिस्टर पृष्ठ 71) द्वारा करने के पश्चात)

			कुल ₹11736
22	पैरा–20	निर्णीत	(i) (माप पुस्तिका संख्या 2243 पृष्ठ 39 पर संविदाकार के पांचे व अन्तिम बिल में मद संख्या 3 की कार्य मात्रा से 2.64 घन मी0 की मात्रा घटाने के पश्चात) (ii) माप पुस्तिका संख्या 2257 पृष्ठ 95 पर ₹13725 (कार्य मात्रा 3.05 घन मी0) की वसूली संविदाकार के 8वें व अन्तिम बिल से करने के पश्चात)
23	पैरा–21	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
24	पैरा–22	अनिर्णीत	
25	पैरा–23	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
26	पैरा–24	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
27	पैरा–25	अनिर्णीत	
28	पैरा–26	अनिर्णीत	
29	पैरा–27	अनिर्णीत	
30	पैरा–28	अनिर्णीत	
31	पैरा–29	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
32	पैरा–30	निर्णीत	(10 एम0एम0 टोर स्टील की 0.090 मीट्रिक टन मात्रा बिन कार्ड संख्या 325 में दिनांक 28.2.2017 को प्राप्ति कॉलम में दर्ज करने के उपरान्त)
33	पैरा–31	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
34	पैरा–32	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर के आधार पर)